

राजस्थान सरकार  
परिवहन विभाग

क्रमांक:-एफ 7(198)/परि/नियम/मु./2010/ पार्ट/ 3 3921


जयपुर, दिनांक:- 06/07/2017

कार्यालय आदेश 24/2017

विभागीय कार्यालय आदेश 02/2015 दिनांक 16.02.2015 द्वारा समस्त कार्यालयों द्वारा विभिन्न श्रेणी के वाहनों को दिनांक 01.04.2005 के पश्चात आवंटित की गई पंजीयन सीरीज एवं भविष्य में आवंटित की जाने वाली वाहनों की पंजीयन सीरीज को सम्मिलित करते हुए आदेश जारी किया गया था। निकट भविष्य में जिला परिवहन अधिकारी (गैर परिवहन), झालाना डूंगरी जयपुर में 5 बैठक क्षमता तक की 4 पहिया गैर परिवहन वाहनों हेतु आवंटित नियमित सीरीज समाप्त हो रही है। उक्त परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए जिला परिवहन अधिकारी (गैर परिवहन), झालाना डूंगरी, जयपुर को निर्देशानुसार गैर परिवहन श्रेणी के चार पहिया वाहनों जिनकी बैठक क्षमता 5 तक है के पंजीयन हेतु RJ-14 पंजीयन सीरीज के स्थान पर RJ-45 सीरीज निम्नानुसार आवंटित की जाती है:-

क्र.सं.	पंजीयन सीरीज	क्र.सं.	पंजीयन सीरीज	क्र.सं.	पंजीयन सीरीज	क्र.सं.	पंजीयन सीरीज
1	CD	6	CJ	11	CP	16	CV
2	CE	7	CK	12	CQ	17	CW
3	CF	8	CL	13	CR	18	CX
4	CG	9	CM	14	CT	19	CY
5	CH	10	CN	15	CU	20	CZ

उक्त सीरीज वर्तमान में जिला परिवहन अधिकारी (गैर परिवहन), झालाना डूंगरी जयपुर को आवंटित नियमित सीरीज की समाप्ति के पश्चात उपयोग में लाई जा सकेगी तथा यह स्पष्ट किया जाता है कि जिला परिवहन कार्यालय, झालाना डूंगरी द्वारा वर्तमान में अग्रिम पंजीयन क्रमांक आवंटन का कार्य समय समय पर इस हेतु जारी विभागीय आदेशों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

  
(हंस कुमार शर्मा)

अपर परिवहन आयुक्त (नियम)

क्रमांक: प.7(198) परि/नियम/मु./2010/पार्ट/3 3921-323

जयपुर, दिनांक: 06/07/2017

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव एवं परिवहन आयुक्त।
2. समस्त अधिकारी, मुख्यालय।
3. समस्त प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी।
4. समस्त प्रभारी अधिकारी कर संग्रह केन्द्र, परिवहन विभाग।
5. श्री संजय सिंघल, सिस्टम एनालिस्ट को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. श्री लीलाधर, एन.आई.सी, प्रधान कार्यालय, जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली।



अपर परिवहन आयुक्त (नियम)